

## न्यायालय जिला कलेक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्मूल पहाड़िया, आई.ए.एस.

सरकार जरिये अमित कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक करौली, तहसील व जिला करौली - प्रार्थी  
बनाम

श्री महेश सैनी पुत्र श्री गिराज प्रसाद सैनी, कलेक्ट्री सर्किल, करौली - अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत सीज्ड घरेलू  
गैस सिलेण्डर दो मय 0.6 किलो गैस को राजसात् करने।

## निर्णय

दिनांक-17.09.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक करौली श्री अमित कुमार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्रांक एफ17(2) खा.वि./न्याय/2000 जयपुर दिनांक 26.03.2018 द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के अवैध भंडारण एवं अन्तरण पर निर्बन्धन के प्रावधानों की पालना, अवमानना पर सतर्कता कार्यवाही एवं सुरक्षा मानकों के प्रचार प्रसार हेतु सुरक्षा पखवाडा दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 मनाने एवं इसी क्रम में 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 की अवधि में सघन अभियान सुरक्षा पखवाडा चलाकर जिले में संचालित अवैध गतिविधियों के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कड़ी कार्यवाही करने हेतु गठित जॉच दल द्वारा दिनांक तहसील करौली में नगर परिषद करौली में श्री महेश सैनी पुत्र श्री गिराज प्रसाद सैनी, कलेक्ट्री सर्किल, करौली के नाश्ता रेस्टोरेण्ट से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को जप्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	तेल कंपनी का नाम	गैस सिलेण्डर का एस.आर.नम्बर	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	आईओसीएल	68661	15.2	15.3	0.1
2	आईओसीएल	808194	15.7	16.2	0.5

इस प्रकार श्री महेश सैनी पुत्र श्री गिराज प्रसाद सैनी, कलेक्ट्री सर्किल, करौली द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस(प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) एवं 4(क) एवं 5 एवं 7(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाते हुए जप्तशुदा दो घरेलू गैस सिलेण्डर मय 0.6 किलो गैस को राजसात् किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

तामील कुनिन्दा द्वारा तामीली रिपोर्ट में बताया है कि अप्रार्थी दुकान बंद कर चला गया है। वह कहां गया है इसका किसी को कोई पता नहीं है। अप्रार्थी को बार-बार अवसर दिये जाने, तलाश किये जाने के बावजूद ना तो अप्रार्थी उपस्थित हुआ है और ना ही उसका पता चल पाया है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते हैं।

बहस प्रवर्तन निरीक्षक सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक, करौली ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सुरक्षा पखवाडा के दौरान अप्रार्थी श्री महेश सैनी की नाश्ता रेस्टोरेण्ट दुकान

जिला कलेक्टर  
करौली

से दो सिलेण्डरों को व्यावसायिक उपयोग करते हुए जब्त किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस प्रार्थी एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। अप्रार्थी अपनी दुकान बंद कर चला गया है। वह कहां गया है, इसका पता नहीं चल पाया है। अप्रार्थी इस न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिए दोनों घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय गैस 0.6 किलो राजसात् किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा दो घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस 0.6 किलो राजसात् किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर एवं सिलेण्डरों की गैस 0.6 किलो की बाजार दर से बिक्री कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जाकर 15 दिवस में चालान प्रति मय पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(नन्मूल पहाड़िया)

जिला कलक्टर

करौली